न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

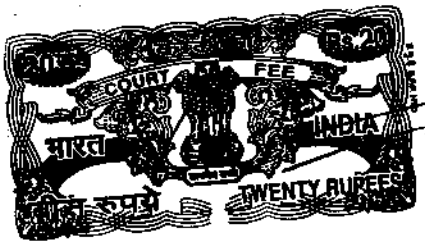

शिवकुमार केवट तनय बीरवल केवट उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम गुढगवॉ तह. चितरंगी जिला सिंगरौली म.प्र. ....**निगरानीकर्ता**

बनाम्

1— श्री निवास ब्रा.
2— रामनिवास ब्रा.
3— श्रीकांत ब्रा.
4— अरूण कुमार ब्रा.

→ चारों के पिता स्व. केमला प्रसाद ब्रा. सभी निवासी गुढगवॉ जिला सिंगरौली म.प्र.

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म. प्र. प्र. क्र. 349/निग/2000—01 आदेश दिनांक 03.08.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

<u>निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं —</u>

1— यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ [redacted] से परे प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है जो किसी भी स्थिति में कायम र[…] जाने योग्य नहीं है।

3— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज कर कि निगरानीकर्ता को भूमि खसरा क्र. 492/1 रकबा 0.405 हे. विशेष उपबंध कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमियों का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत विधिवत इश्तहार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5020–दो/2015 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–07–16	आवेदक के अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के प्रकरण कमांक 349/निग0/2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तह0 देवसर, चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 315/अपील/90–91 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत अपर कलेक्टर बैढ़न, जिला–सीधी के समक्ष निगरानी पेश की गई । अपर कलेक्टर ने दिनांक 20.07.2001 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । जिसके विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के यहॉ प्रस्तुत की गई, जिसमें विधिवत प्रकरण क्रमांक 349/निग0/2000–01 दर्ज किया गया और आदेश दिनांक 03.08.2015 से निगरानी खारिज की गई । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 03.08.15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि आवेदक की भूमि खसरा नं0 492/1	

रकबा 0.405 है0 विशेष उपबंध कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमियों का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अतर्गत विधिवत इश्तहार प्रकाशन व आपत्ति आहूत किये जाने के बाद विधिवत जांच कर प्रदान की गई थी, तथा व्यवस्थापन किया गया था, जिस पर किसी भी आम जनता गुढ़गवां द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी और न ही उक्त व्यवस्थापन से आम जनता का कोई हक व हित ही प्रभावित होता था व न वर्तमान में ही प्रभावित हो रहा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन प्रकरण व आदेश की विधिवत विवेचना व अवलोकन किये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्णयता निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया गया कि तहसीलदार चितरंगी के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25.06.87 के अर्सा 4 वर्ष बाद समयाबधित अपील अनावेदकगण के पिता केमलाराम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी द्वारा अनावेदकगण के पिता केमलाराम को विधिवत साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपील को बलहीन पाते हुये दिनांक 25.06.2000 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर बैढ़न के यहां विधि विपरीत निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन का आदेश व कार्यवाही की जांच किये बिना प्रस्तुत निगरानी जो अनुविभागीय के आदेश दिनांक 25.06.2000 विरूद्ध प्रस्तुत की थी, को निगरानी सीगा में दर्ज करने का आदेश पारित कर प्रकरण अंतिम तर्क नियत कर

दिया गया । उक्त प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिस पर अपर आयुक्त ने विधि के सारवान तथ्यों की अनदेखी करते हुये प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.08.2015 विधि के विपरीत पारित किया है । अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक के पिता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में चाहे गये अनुतोष के अनुरूप आदेश पारित न कर प्रस्तुत निगरानी को ही स्वमोटो में लेना दर्शित कर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार न कर मात्र अपर कलेक्टर के आदेश का हवाला देकर प्रस्तुत निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं पर कोई गौर न किये बिना व उक्त तथ्यों की विवेचना किये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण एवं आदेश का वारिकी से अध्ययन किया। विचारणीय बिन्दु यह है कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 27.05.2000 अधिकार विहीन पाया है तथा अपर कलेक्टर को सुनवाई का अधिकार होने के कारण निगरानी को संज्ञान में लिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रमाणित आदेश की प्रति एवं हितबद्ध पक्षकार न होने के कारण उनकी अपील खारिज की गई । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम नहीं

माना जा सकता । अपर कलेक्टर के द्वारा निगरानी में विधि प्रश्न उत्पन्न होने के कारण सुनवाई में लिया गया है जो मेरे विचार से उचित है । अपर आयुक्त रीवा ने भी अपने आदेश दिनांक 03.08.2015 से इस आदेश की पुष्टि की है । अतः अपर आयक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.15 एवं अपर कलेक्टर बैढ़न, जिला--सीधी के द्वारा पारित आदेश 20.07.2001 समवर्ती होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतएव प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य